<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236669 CG-DL-E-17062022-236669

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] No. 435] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

सा.का.िन. 456(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 139 की उपधारा (1) और धारा 469 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण संशोधन नियम, 2022 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 में, नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातु:-

# **"13.** गैर-अनुपालन की स्थिति में दंड:-

जो कोई भी इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, उस पर अधिकतम पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा जहां उल्लंघन लगातार किया जाता है, वहां पहली बार उल्लंघन के बाद अधिकतम पांच सौ रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा जिस अवधि तक उल्लंघन जारी रहता है।

[फा. सं. 7/14/2021-सीएल-I]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

4102 GI/2022 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1111(अ), तारीख 13 नवंबर, 2018 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 636(अ), तारीख 5 सितंबर, 2019 के द्वारा इनमें आगे और संशोधन किया गया।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

- **G.S.R. 456(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the National Financial Reporting Authority Rules, 2018, namely:-
- 1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority Amendment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Financial Reporting Authority Rules, 2018, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

#### "13. Punishment in case of non-compliance:-

Whoever contravenes any of the provisions of these rules, shall be punishable with fine not exceeding five thousand rupees, and where the contravention is a continuing one, with a further fine not exceeding five hundred rupees for every day after the first during which the contravention continues."

[F. No. 7/14/2021-CL-I]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 subsection (i) vide number G.S.R. 1111(E), dated the 13th November, 2018 and further amended vide number G.S.R. 636(E) dated 5th September, 2019.